रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 148] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 23, 1986/वैशाख 3, 1908
No. 148] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 23, 1986/VAISAKHA 3, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 1986

आदेश

का. आ. 205 (अ):—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश स. का. आ. 641 (अ), तारीख 10 नवम्बर, 1978 द्वारा (जिसे इसमे इसके पश्चात उक्त आदेश कहा गया है) वैस्ट बंगाल फार्मास्युटिकल एण्ड फाइटोकैमिकल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, इलाको हाउस (दूसरी मंजिल) 1 और 3 बीबोर्न रोड, कलकत्ता-700001 को (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त प्राधिकृत व्यक्ति कहा गया है) मैसर्स डा. पाल लोहमान (इंडिया) लिमिटेड कलकत्ता नामक सम्पूर्ण औद्योगिक उपक्रम, (जिसे इसके पश्चात उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) का प्रबन्ध 10 नवम्बर, 1978 से प्रारम्भ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया था ;

और केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश स. का. आ. 793 (अ), तारीख 9 नवम्बर 1981, स. का. आ. 312 (अ), तारीख 8 मई, 1982, सं. का. आ. 789 (अ), तारीख 9 नवम्बर, 1982, सं. का. आ. 801 (अ) तारीख 10 नवम्बर, 1983, सं का. आ. 364 (अ), तारीख 8 मई, 1984, स. का आ 825 (अ), तारीख 9 नवम्बर, 1984, सं. का. आ. 926 (अ), तारीख 7 दिसम्बर, 1984 और स का आ. 104 (अ), तारीख 8 फरवरी 1985 और सं. का आ. 596 (अ) तारीख 8 अगस्त, 1985 तथा स. का. आ. 730 (अ) तारीख 8 अक्तूबर, 1985 तथा स. का. आ. 180 (अ) तारीख 9 अप्रैल, 1986 द्वारा उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 चक के अधीन कलकत्ता उच्च न्यायालय की अनुज्ञा से उक्तप्राधिकृत व्यक्ति को उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध 23 अप्रैल 1986 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, 7 वर्ष 5 माह और 2 सप्ताह की अवधि के लिए करते रहने के लिए समय-समय पर निदेश दिए थे;

और केन्द्रीय सरकार ने, अपनी यह राय होने पर कि जनसाधारण के हित मे यह समीचीन था कि उक्त प्राधिकृत व्यक्ति उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध 7 वर्ष 5 माह और 2 सप्ताह की अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी करता रहे, उक्त अधिनियम की धारा 18 चक की उपधारा (2) के परन्तुक के अधीन कलकत्ता उच्च न्यायालय को आवेदन किया था और उसके ऐसे प्रबन्ध को छह माह की और अवधि के लिए बनाए रखने के लिए प्रार्थना की थी;

और उक्त उच्च न्यायालय ने, अपने आदेश तारीख 22 अप्रैल, 1986 द्वारा उक्त प्राधिकृत व्यक्ति को उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध 2 सप्ताह की और अवधि के लिए करते रहने की अनुज्ञा दे दी थी;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 18 चक की उपधारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि उक्त आदेश 2 सप्ताह तक की, जिसमे 8 मई, 1986 की तारीख भी सम्मिलित है अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा ।

[फा. सं. 4(2)/80-सी यू एस]

ए. पी. सरवन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 23rd April, 1986

ORDER

S.O. 205(E).—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 641(E), dated the 10th November, 1978 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government had authorised the West Bengal Pharmaceutical and Phytochemical Development Corporation Limited, Ilaco House, (2nd Floor), 1 and 3, Brabourne Road, Calcutta-700001, (hereinafter referred to as the said authorised person), to take over the management of the whole of the industrial undertaking known as Messrs Dr. Paul Lohmann (India) Limited, Calcutta (hereinafter referred to as the said industrial undertaking) for a period of three years commencing on the 10th November, 1978;

And, whereas, by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) Nos. S.O. 793(E), dated the 9th November, 1981, S.O. 312(E), dated the 8th May, 1982, S.O. 789(E), dated the 9th November, 1982 S.O. 801(E) dated the 10th November, 1983, S.O. 364(E), dated 8th May, 1984, S.O. 825(E), dated the 9th November, 1984, S.O. 926(E), dated the 7th December, 1984, S.O. 104(E), dated the 8th February, 1985, S.O. 596(E), dated the 8th August, 1985, S.O. 730(E) dated the 8th October, 1985, and S.O. 180(E) dated 9th April, 1986, the Central Government, with the permission of the High Court at Calcutta under Section 18FA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1961) had from time to time directed the said authorised person to continue to manage the said industrial undertaking for a period of Seven years Five months and Two weeks, upto and inclusive of the 23rd April, 1986.

And, whereas, the Central Government, being of the opinion that it was expedient in the interest of the general public that the said authorised person should continue to manage the said industrial undertaking after the expiry of the said period of Seven years Five months, and Two weeks, made an application under the proviso to sub-section (2) of section 18FA of the said Act to the High Court at Calcutta praying for the continuance of such management for a further period of six months;

And, whereas, the said High Court, by its order dated the 22nd April, 1986 permitted the said authorised person to continue to manage the said Industrial Undertaking for a further period of Two weeks;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of section 18FA of th said Act, the Central Government hereby directs that the said order shall continue to have effect for a further period of Two weeks upto and inclusive of the 8th May, 1986.

[File No. 4(2)|80-CUS]

A. P. SARWAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986